न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर– तृतीय, जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 41 / 2013
3. उनवान : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर ।

बनाम

1. श्रीमती कमला जैन पत्नी श्री कुंजबिहारी C/O 56/3 शिवाजी रोड मेरठ, उत्तरप्रदेश
2. गिथलेश जैन पत्नी श्री विनोद बिहारी C/O जैना स्टेट, ज्वाला नगर रामपुर, उत्तरप्रदेश
3. मंजू जैन पत्नी श्री रमेश चन्द बाकीवाला सी–382 मालवीय नगर जयपुर।
4. मोहर बाई पत्नी भगवान सहाय जैन निवासी ए–171 कमला नगर आगरा।
5. शान्ता जैन पत्नी श्री सोभाग चन्द जैन 819, रामनगर कॉलोनी शास्त्री नगर जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 26 / 12 / 2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी तहसीलदार जयपुर द्वारा न्यायालय के समक्ष ग्राम बगराना के नामान्तकरण संख्या 70 के विरुद्ध रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि ग्राम बगराना स्थित खसरा नंबर 391, 392 एवं 393 किता 3 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि श्री जगन्नाथ पुत्र मांग्या मीना निवासी कुथाडा हाल निवासी बगराना के नाम दर्ज थी। जिसे भगवानदास पुत्र श्रीलाल जैन को जरिये विक्रय पत्र हस्तांतरण किया गया। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि सामान्य जाति वर्ग के व्यक्ति के नाम हस्तान्तरित हुयी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत हुयी है। नियमों के प्रतिकूल निर्णित होने के कारण नामान्तकरण संख्या 70 निरस्त किये जाने योग्य है। क्रेता खातेदार भगवानदास के फौत हो जाने के कारण उनके वारिसान के नाम रेफरेंस प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

रेफरेंस प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी तथा नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गई। बहस एकपक्षीय सुनी गयी।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि ग्राम बगराना स्थित खसरा नंबर 391, 392 एवं 393 किता 3 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि श्री जगन्नाथ पुत्र मांग्या मीना निवासी कुथाडा हाल निवासी बगराना के नाम दर्ज थी। जिसे भगवानदास पुत्र श्रीलाल जैन को जरिये विक्रय पत्र हस्तांतरण किया गया। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि सामान्य जाति वर्ग के व्यक्ति के नाम हस्तान्तरित हुयी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत हुयी है। नियमो के प्रतिकूल निर्णित होने के कारण नामान्तकरण संख्या 70 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः रेफरेंस की कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

सरकार बनाम कमला जैन

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा पैरोकार सरकार की एकतरफा बहस पर मनन किया नतीजतन ग्राम बगराना स्थित आराजी खसरा नम्बर 391, 392 एवं 393 कुल किता 3 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि जगन्नाथ पुत्र मांग्या मीणा निवासी कुथाडा निवासी बगराना के नाम दर्ज थी। जिसे भगवानदास पुत्र श्रीलाल जैन को जरिये विक्रय पत्र हस्तानान्तरण किया गया। इस प्रकार एक अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति द्वारा सामान्य जाति वर्ग(जैन) के व्यक्ति के नाम भूमि हस्तानान्तरित हुयी है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(ख) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः तहसीलदार जयपुर का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सरपंच ग्राम पंचायत सुमेल पंचायत समिति झोटवाडा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 70 दिनांक 18/06/1967 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि को धारा 42 RTA के तहत अवैध स्थानान्तरण मानते हुए नियमानुसार धारा 175 की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 26/12/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर